



इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 42694/2025

चिट्ठ

..... आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....प्रतिवादी

आवेदक अधिवक्ता

:

अजय कुमार

प्रतिवादी अधिवक्ता

:

जी.ए.

न्यायालय संख्या - 66

माननीय न्यायमूर्ति कृष्ण पहल

1. लिस्ट में बदलाव किया गया है।
2. आवेदक के अधिवक्ता श्री अजय कुमार और राज्य के अधिवक्ता श्री आर.पी. पटेल को सुना और रिकॉर्ड में रखी गई सामग्री को देखा।
3. आवेदक मुकदमा अपराध संख्या 141 वर्ष 2025, धारा 140(1), 61(2), 103(1), 238, (5) बीएनएस, पुलिस स्टेशन फरिहा, जिला फिरोजाबाद के अंतर्गत विचारण लंबित रहने के दौरान जमानत चाहता है।
4. आवेदक के अधिवक्ता ने कहा है कि इसी तरह के सह-आरोपी गौरव को इस न्यायालय ने आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या 39069/2025 में 15.11.2025 के आदेश के ज़रिए पहले ही जमानत पर रिहा कर दिया है। इसलिए, चूंकि आवेदक की भूमिका सह-आरोपी जैसी ही है, जिसे पहले ही जमानत पर रिहा किया जा चुका है, इसलिए वह भी समानता के आधार पर जमानत पर रिहा होने का हकदार है। आवेदक को दी गई आपराधिक इतिहास के बारे में बताया

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



गया है। वह 23.8.2025 से जेल में बंद है। अगर आवेदक को जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह जमानत की आज़ादी का गलत इस्तेमाल नहीं करेगा।

5. जमानत की अर्जी का विद्वान ए.जी.ए. ने ज़ोरदार विरोध किया है। हालाँकि, सह-आरोपी के समानता होने के ऊपर बताए गए तथ्यात्मक पहलू पर उन्होंने कोई विवाद नहीं किया है।

6. सर्वोच्च न्यायालय ने प्रभाकर तिवारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य, (2020) 11 एससीसी 648 में कहा है कि किसी आरोपी के खिलाफ कई आपराधिक मामले लंबित होना ही जमानत देने से मना करने का आधार नहीं हो सकता, अगर उसके जमानत का मामला बनता है।

7. मामले के तथ्यों और हालात को देखते हुए और इस न्यायालय के नन्हा पुत्र नभान खा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, 1993 सीआरएल.एल.जे. 938 में दिए गए फैसले और सर्वोच्च न्यायालय के पारस राम विश्रोई बनाम निदेशक, केंद्रीय जांच ब्यूरो, मनु/एससीओआर/22410/2021 और सतेंद्र कुमार अंतिल बनाम केंद्रीय जांच ब्यूरो और अन्य, 2022 एससीसी ऑनलाइन एससी 825, में दिए गए फैसलों को देखते हुए, न्यायालय का मानना है कि आवेदक ने जमानत के लिए मामला बनाया है। समानता के आधार पर जमानत अर्जी मंज़ूर की जाती है।

8. आवेदक- चिंदू, जो ऊपर बताए गए आपराधिक मामले में शामिल हैं, को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के लिए एक व्यक्तिगत बॉन्ड और उतनी ही रकम के दो जमानतदार देने पर इन शर्तों के साथ जमानत पर रिहा किया जाता है। इसके अलावा, रिहाई आदेश जारी करने से पहले, जमानतदारों को सत्यापन किया जाना चाहिए।

(i) आवेदक जमानत के दौरान सबूतों से छेड़छाड़ नहीं करेगा।

(ii) आवेदक सरकारी गवाहों पर दबाव नहीं डालेगा/डराया-धमकाएगा।

(iii) आवेदक तय तारीख पर विचारण न्यायालय के सामने पेश होगा।

9. ऊपर दी गई किसी भी शर्त का उल्लंघन होने पर, यह जमानत रद्द करने का आधार होगा।

10. यह साफ़ किया जाता है कि आवेदक को जमानत देते समय की गई बातें, गवाहों की गवाही के आधार पर अपनी अलग राय बनाने में विद्वान विचारण न्यायाधीश पर किसी भी तरह से असर नहीं डालेंगी।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(माननीय न्यायमूर्ति कृष्ण पहल)

27 जनवरी, 2026

(रवि कांत)

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।